UPUN010035772026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1507/2026

राजीव कश्यप पुत्र स्व0रामभजन निवासी म0नं0–5/189, मोहल्ला मछुवा नगर, थाना कोहना, जिला कानपुर नगर हाल पता मोहल्ला गढ़ी, कस्बा व थाना फतेहपुर–84, जिला उन्नाव।

————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

——————विपक्षी।

15.06.2026

अभियुक्त राजीव कश्यप द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–170/2026, धारा–109(1)बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना फतेहपुर–84, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 16.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार मय पुलिस कर्मचारीगण के मुखबिर की सूचना पर कि दिनांक 13.05.2026 की लूट के बदमाश ऊगू की तरफ से काली मिट्टी की तरफ आयेगे। समय 23.30बजे रेलवे लाइन से मिट्ठू खेड़ा की तरफ पैदल दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिनको रूकने का इशारा किया, परन्तु उन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अवैध असलहो से फायर करने लगे। बदमाशों द्वारा की गयी फायर वादी के कान के पास से निकल गयी वह बालबाल बच गया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर मे गोली लग गयी। अभियुक्त राजीव कश्यप के दाहिने पैर मे घुटने के नीचे गोली लगी है। अभियुक्त के दाहिने हाथ के पास पड़ा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर व नाल मे फसा हुआ एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व पैंट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया कि, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नही है। कथित बरमदगी फर्जी है। कथित घटना में किसी पुलिसकर्मचारी के कोई फायर की चोट नही आयी। वह दिनांक 17.05.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाने की याचना की गयी।

विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि उसे झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी पुलिस कर्मचारीगण के कोई चोट नही आयी है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 13.05.2026 के संबंध में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा स्वयं यह तथ्य उल्लिखित किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा की गयी फायर से वह बाल–बाल बच गया। अभियोजन द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारीगण को फायर की कोई चोट होने के संबंध में कोई कथन नही किया गया है। फर्द बरामदगी दिनांक 16.05.2026 के अनुसार अभियुक्त के दाहिने हाथ के पास

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.16 10:45:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पड़ा एक अदद तंमचा 315 बोर, जिसकी नाल मे एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस मिला। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। फर्द बरामदगी मे घटना की तिथि 16.05.2026 समय 23.30 अंकित है। जब कि जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम संख्या–3 में घटना की तिथि 17.05.2026 समय 05.30बजे अंकित किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजीव कश्यप द्वारा अपराध संख्या–170/2026, धारा–109(1)बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना फतेहपुर–84, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1507/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–30,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–15.06.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
आई0डी0नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।